



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड IV
PART III—Section IV
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2003/पौष 26, 1924

No. 6]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2003/PAUSA 26, 1924

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2003

सं. पी.एस.बी./डीएसी/2002.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब एण्ड सिंध बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, और पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 1981 संशोधित करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इस विनियमावली को पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) संशोधन विनियमावली, 2002 कहा जाएगा।

(2) यह विनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 1981 में विनियम 18 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

18. समीक्षा :—

इन विनियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी समीक्षा प्राधिकारी अंतिम आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर किसी भी समय, या तो उसके अपने प्रस्ताव से या अन्यथा, उक्त आदेश की समीक्षा करें, जब कोई ऐसा नया तथ्य या साक्ष्य जो समीक्षाधीन आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या उपलब्ध नहीं था, जो मामले के स्वरूप को परिवर्तित करने में प्रभावी है, उसके ध्यान में आया है या लाया गया है और उन पर, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित कर सकता है।

परन्तु—

- यदि पुनरीक्षण अधिकारी जो बढ़ाया हुआ दंड देना चाहता है वह विनियम के खंड (च), (छ), (ज), (झ) या (ञ) में विनिर्दिष्ट कोई गंभीर स्वरूप वाला है और विनियम 6 में किए गए प्रावधान के अनुसार उस मामले में पहले से जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी यह निर्देश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी जांच का जाए और उसके पश्चात् यह जांच के अभिलेख पर विचार करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे;
- यदि पुनरीक्षण अधिकारी दंड में वृद्धि करने का निश्चय करता है, किंतु विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है

तो पुनरीक्षण प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण देताओ नोटिस देगा कि बढ़ाया गया दंड उसे क्यों न दिया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के पश्चात् ही अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

सरूप सिंह, उप-महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन III/IV/134/2002/असा.]

पाद टिप्पणी :—पंजाब एण्ड सिंध बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1981 में उपरोक्त अनुसूची में किए गए पूर्व संशोधनों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्रम सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
—	शून्य	—

PUNJAB & SIND BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2003

No. PSB/DAC/2002.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981 namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations, may be called Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 2002.

(2) They Shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab & Sind Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1981 for regulation 18 the following regulation shall be substituted, namely :—

18. Review :—

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Reviewing Authority may at any time within six months from the date of the final order, either on his own motion or otherwise review the said order, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at the time of passing the order under review and which has the effect of changing the nature of the case, has come or has been brought to his notice and pass such orders thereon as it may deem fit.

Provided that—

(i) if any enhanced penalty, which the Reviewing Authority proposes to impose, is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4 and an enquiry as provided under regulation 6 has not already been held in the case, the Reviewing Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the enquiry and pass such orders as it may deem proper.

(ii) if the Reviewing Authority decides, to enhance the punishment but an enquiry has already been held in accordance with the provisions of regulation 6, the Reviewing Authority shall give show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass an order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

SAROOP SINGH, Dy. General Manager (P)

[ADVT III/IV/134/2002/Exty.]

Foot Note:— Earlier amendments to the above Regulation, to Punjab & Sind Bank Officer Employees (Discipline & Appeal) Regulations, 1981 were published in the Gazette as per details given below :—

S.No.	Notification No.	Dated
—	Nil	—